

पत्रावली में वादीनी के विधिक प्रतिनिधिपता  
द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को  
आज ही सुनवाई हेतु रखा जाने हेतु निवेदन  
किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर  
पत्रावली को आज ही सुनवाई हेतु रखा  
गया। पत्रावली पेश हुई। वादी-अधिवक्ता  
एवं वादीनी के विधिक प्रतिनिधि उपस्थित  
होकर जस्ये प्रार्थना पत्र निवेदन किया  
कि इस प्रकरण में वादीनी एवं प्रतिवादी  
के बीच लोक अदालत की मांगना से शर्कीनाम  
हो चुका है अब के इस पत्रावली को निवेदन  
करना चाहते हैं। वादीगण के निवेदन को  
स्वीकार किया जाकर पत्रावली को जस्ये  
शर्कीनाम पिड़ोल शर्जिन किया जा रहा  
पत्रावली कमल कुमार दोसर सामने १५  
हो।